राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा, जिला अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :– रात्रऋभमवि / अल / संस्थापन / 2025 / 301 दिनांकः– 25.04.25

ऑफलाईन निविदा सूचना

UBN ....

Supply and intallation of Spilit AC at RRBMU Haldina Campus

राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान पर लगभग **04 AC(Air Conditioner) Supply and installation** हेतु प्रतिष्ठित डीलरों / डिस्ट्रीबुटर / निर्माताओं आदि से AC खरीदने हेतु मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है जिसके लिए खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट **Website :www.rrbmuniv.ac.in** एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्णरूप से भरे हुऐ प्रपत्र दिनांक 02.05.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा करानें होगें जिन्हें उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

District	Name of Work Package Nos	Estimated Cost of work (in Lacks)	Earnest Money	Last date for bid Submission on SPPP
1	2	3	4	5
Alwar	Supply and intallation of Split AC at RRBMU Haldina Campus	3.00 Lakh	Rs 6000	02-05-2025 12:00 Noon

1. The Sale of tender document will start from 25-04-2025

2. Tender document can be obtained up to 11:00 AM.on 02.05.2025 from Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Haldina, Alwar.

3. Tender will be received upto 12.00 PM. and on 02-05-2025. at RRBMU, Haldina, Alwar and will open at 03:00 PM in presence of committee on date 02-05-2025

4. Tender cost Rs 500 and earnest money Rs 6000/- will be accepted in form DD/ Banker Cheque in favour of Registrar, RRBMU, Alwar

5. Competent authority reserve the right to cancel the tender without any reason.

6. RTPP Act, 2012 and RTPP Rule 2013 will be applicable on tenders.

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित नियंत्रक, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर राजस्थान।
2. प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर को भेजकर लेख है कि खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट **Website : www.rrbmuniv.ac.in** एवं **sppp.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करावें।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर।
4. नोटिस बोर्ड जिला परिषद कार्यालय,जिला कलक्टर कार्यालय, नगर विकास न्यास अलवर, नगरनिगम अलवर।
5. रक्षित प्रत्रावली।

कुलसचिव

निविदा फार्म

प्रपत्र अ
(वित्तीय बिड)
लिफाफा नं.02

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम ....

2. फर्म/ एजेन्सी का पूरा पता ....

3. दूरभाष कार्यलाय..................... घर...

4. फर्म का संगठन (एकल या साझेदारी में)..

5. आयकर (स्थाई खाता संख्या प्रति संलग्न करे)...

6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या (प्रति संलग्न करे)...

7. बैंक का नाम...

8. खाता संख्या...

IFSC Code No. ....

9. निविदा की अनुमानित लागत : रू. 3.00 लाख

10. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 02.05.2025 को प्रातः 11.00 PM बजे तक

11. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 02.05.2025 को प्रातः 12 बजे

12. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 02.05.2025 को अपराह्न 3.00 PM बजे तक

13. निविदा प्रपत्र की कीमत :रू0 500/– नकद/DD/BC द्वारा : बोली प्रतिभूति राशि (2:)रू. 6000/– बैंक ड्राफट/बैंकर्स –चैक नंबर.............. दिनांक....................

14- कार्यालय : RRBMU, Haldina ALWAR.

Rates for supply and installation of AC at RRBMU, Haldina, ALWAR:-

क. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	मूल दर (प्रति AC)बिना कर	GST (प्रतिशत में)	GST. राशि रू.	दर (प्रति AC GST सहित) (4+6) :-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	AC(02 Ton)	04				

AC खरीदनें हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्ते :-

1- लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रू. 6000/— तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कराने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/—का DD/BC रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखे।

2- लिफाफा नं.02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये प्रति ए.सी. दरें रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।

3- दोनो लिफाफा नं. (01 व 02) को एक लिफफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।

4- निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

5- निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभीं शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।

6- निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छॉट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रदद की जा सकेगी।

7- किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को होगा।

8- The tender must be submitted in proper sealed envelope duly marked tender for supply of Air Conditioner and installation.

9- AC specifications Annexure- I में अंकित है उन्ही के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

10- Rate should include all the applicable taxes/transportation charges etc.

11- In quotation also mention make and model of Air Conditioner along with brochure of specifications

12- The firm should have GST certificate and latest GST clearance certificate

13- The undersigned is not bound to accept the lowest quotation and reject any quotation or any part of the quotation without assigned any reason thereof.

14- No advance payment shall be made. Payment will be released after satisfactory report of the committee constituted at RRBMU ALWAR.

15- The material will be supplied within 10 days of work order.

16- The rate quoted mustbe for destination at RRBMU,Haldina ALWAR.

17- The responsibility of GST/ other charges, Tax etc applicable as per Govt. rule will be borne by the supplier.

18- Supply and complete installation will be the responsibility of firm. Quantity of AC may increase or decrease.

19- निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (एल.डी.) की जाएगी।

20- क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी।

21- सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय में सफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त (performance security) की जा सकेगी।

22- समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 2.05.2025 को प्रातः 11.00 AM बजे तक रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से प्राप्त किये जाकर दिनांक 02.05.2025 को प्रातः 12.00 PM बजे तक स्वीकार किए जाएगें एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 02.05.2025 . को सायं 3.00 PM बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोले जाऍगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

23- उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम– 68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानुसार लागू होगी।

24- दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढाई जा सकती है।

25- राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नियम के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शमिल नहीं किया जाएगा। अर्थात स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/ वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।

निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के परिसम्मापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यो के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.50

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.00

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.50

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक तक के लिए 10.00

26- निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है

तो तदनुसार को महाविद्यालय द्वारा कम दरो पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र द भी संलग्न करेगा।

27- किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र स संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिताते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति;Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

28- निविदादाता समस्त करो को सम्मिलित करते हुये दरें RRBMU ALWAR प्रति देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

29- निर्धानित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र PAN,GST Registration Certificate और चुकता करने का प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतियॉ अवश्य संलग्न करे।

30- यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रूपये 1000 का DD/BC द्वारा अधिष्ठाता रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर अलग से लिफाफा नं. 01 में प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।

31- प्रपत्र के साथा बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करे, इसके अभाव में निविदा अस्वीकार की जावेगी।

32- गत तीन वर्षो के औसत टर्न ओवर रू 15.00 लाख प्रपत्र (य) वाली फर्म इसके लिए पात्र रहेगी।

33- फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।

34- सफल निविदादाता को रू 500.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्चा सफल निविदादाता को वहन करना होगा।

35- वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,

अर्थातः—

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दो और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दो में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दो में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकोमें अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

36- सत्यनिष्ठा संहिता— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति—

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुवर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह किया हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्थ के साथ किसी पूर्व नियमन को या किसी उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

37. हित का विरोध–

1. किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिको और बोली लगाने वालो के लिए हित विरोध ऐसी स्थिति को माना जाता है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमो के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

2. उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नही हैं:–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाहय वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हो।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजि हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, पहित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक अस्तियों सहित अस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहीयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हे उसमें सम्मिलित करता है।

3. कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदिः–

(क) उनके समान नियंत्रक भीदार है।

(ख) उनके समान नियंत्रक भागीदर है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भा नहीं लेता हो।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्यिों में बोली प्रक्रियॉ के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंद्व है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

38. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण– प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति,, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन/अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।,

1. अपीलः– 1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 क अध्यधीयन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–व) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में जहॉ वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वालो के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

2. उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजो, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धाराा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

3. अधिकारी जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

4. यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बाली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या यथास्थिति उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

5. उप धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधो और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

6. अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा [illegible] शीघ्र [illegible] विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

7. अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपादर्शित किया जाएगा।

8. उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

9. इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया – नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

10. कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र – व) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय में सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्ये अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस– (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय हो होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचना बैंक के बैंक मांदेय ड्राफट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकरण के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारीः–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील पक्षकारों की उक्त आदेश की प्रति निः शुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

39. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को होगा।

40. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) होगा।

रजिस्ट्रार

, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य

महाविद्यालय अलवर

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक पढ लिया है एवं समझ लिया है तथ मै/हम उपर्युक्त समस्त शर्तो से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदाताओं द्वारा घोषणा प्रपत्र– ब

मै/हम घोषण करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मै हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्रधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ /हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त **(forfeit)** किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

निविदाता के हस्ताक्षर

निविदाता द्वारा घोषणा   प्रपत्र–स

मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते है, कि हमने जिन कार्यालय की जहॉ कही भी ए.सी. सप्लाई का कार्य किया है, उस आपूर्ति **sub-standard** में वित 3 वर्षो में आपूर्ति होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायलय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र – द

मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते है, कि हमने ए.सी. सप्लाई का कार्य जहॉ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशाषी संस्था आदि को ए.सी. सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर
	0
2021—22	....
2022—23	....
2023—24	....
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष...

(प्रमाणित)

हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

UDIN

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

मोहर एवं दिनांक

Annexure-I

S.N	Name of Item	Specifications for split AC
1.	Air Conditioner	Capacity : 2 ton BEE Star rating : 3 star Technology : Inverter Material of condenser : Coper (Extra Copper wire per meter pay After 3 Meter). Warranty of compressor : Minimum Compressor Warranty 5 year Installation : With standard inst allation, core cutting stand, stabilizer MODEL-2024/2025 Includes installation with stand in various Rooms/Chambers RRBMU ALWAR.

Form No 1 (See rule 83 of RTTP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparencey in public Procurement Act 2012

Appeal No............................... of........................

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Pariculars of the appellant:

(I) Name of the applellant:

(II) Official Address, if any:

(III) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(I)

(II)

(III)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decission, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal ....(supported by an affidavit)

7. Prayer......................................

Place:......................................Date..

Appellant's Signature

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………..for procurement of ………………………in response to their Notice Inviting Bids No………………………..dated …………I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is **Hon'ble Vice-Chancellor,**

The designation and the address of the Second Appellate Authority is **Finance Committee, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR.**

Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error,in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to very Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address: